UPBN010016612026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव० वस्तु अधि०), बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–513/2026

ताजीव, मो० कैफ एवं आमिर बनाम राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या– 40/2026
धारा–317(2)BNS
थाना–बिनावर, जनपद बदायूँ।

दिनांक: 11.03.2026

01– प्रार्थीगण **ताजीव** उम्र 25 वर्ष पुत्र तस्लीम,**मो०कैफ** उम्र 24 वर्ष पुत्र अरमान हुसैन निवासीगण ग्राम अंगूरी टाण्डा,थाना सुभाषनगर, जिला बरेली एवं **आमिर** उम्र 23 वर्ष पुत्र यामीन निवासी मो० कब्रिस्तान करगैना, थाना–सुभाषनगर, जिला बरेली की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सत्र वाद संख्या , धारा व थाना उपरोक्त, जनपद बदायूँ में प्रस्तुत किया है।

02– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्तगण के पैरोकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ अवर न्यायालय का जमानत खारिजा आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

03– संक्षेप में फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2026 को वादी उ0नि0 दिनेश तिवारी मय हमराह उ0नि0 श्री संजीव कुमार, का0 2078 शुभम कुमार के वहवाले रपट नं0 06 समय 01.56 बजे पर थाना हाजा से रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में कस्बा बिनावर में मामूर थे दौराने रात्रि गस्त जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मोहम्मद पुर बिहार की ओर से एक थ्री व्हिलर टेम्पू में कुछ संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं। जिनके पास थ्री व्हिलर में चोरी का सामान भरा है यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते हैं कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले पूर्व से रवाना शुदा थाना क्षेत्र में रात्रि गस्त प्रथम मोबाइल up 32 EG 8113 उ0नि0 श्री शेरपाल सिंह मय हमराह का0 676 शहनवाज, का0 459 अंकुर कुमार मय का0 चालक 1291 पंकज कुमार तथा द्वितीय मोबाइल UP 24 G 0304 जीप पर उ0नि0 श्री रविन्द्र शुक्ला मय हमराह का0 313 सुन्दर कुमार व हो0 गा0 2048 रूकमपाल व हे0का0 चालक 564 शैलेन्द गंगवार व चीता 16 पर हे0का0 836 अनिल तथा का0 2010 आबिद तथा चीता 17 पर हे0का0 807 कुंवरसेन व हो0 गा0 2085 दिलशाद को पूर्व से रवानाशुदा जरिये दूरभाष कस्बा बिनावर एक स्थान पर तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए आपस में मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर कस्बा विनावर से मोहम्मद पुर बिहार ददमई की ओर बताए गये स्थान की ओर आये, कस्वा बिनावर से निकलने के बाद कुछ दूर चलने पर मुखबिर ने सामने थी व्हिलर की लाइट की रोशनी को दिखाकर बताया कि जो समाने लाइट की रोशनी दिखाई दे रही है तथा थ्री व्हिलर की आवाज आ रही है, वही थ्री व्हिलर है। उसी थ्री व्हिलर में संदिग्ध व्यक्ति है बताकर दिखाकर मुखबिर चला गया। तब हम पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से आवश्यक सतर्कता बरते हुए मोहम्मद पुर बिहार मोड से पहले

अपने अपने वाहनो को सडक किनारे लाइट बन्द कर खडा करके आड में रात्रि अंधेरे में छिपते छिपाते खडे होकर आने वाले वाहन का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर बाद सामने एक थ्री व्हिलर आता हुआ दिखाई दिया। अचानक हम पुलिस वालो को देखकर मोड पर आकर अचानक रूक गया और लाइट बन्द कर दी, कि हम पुलिस वाले ने एक दम चारो ओर से थ्री व्हिलर में सवार सदिग्ध व्यक्तियों को भागने का मौका दिए बिना घेर घोट लिया कि टैम्पो में सवार व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया हम पुलिस वालो ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए ग्राम मोहम्मद पुर मोड पर बने पुलिया के पास पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों को हमराह कर्मचारीयों की सुरक्षा में देकर क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम ताजीव बताया जिसके पास से पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से 300 रूपये नकद बीवो मोबाइल आसमानी रंग जिसका सिम नं0 9557835736 तथा IMEI नं0 869736058122770IMEI (2) 869736058122762 बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम आमिर बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से 1100 रूपये नकद तथा ओप्पो कम्पनी मोबाइल रंग काला सिम नं0 7827471680 तथा IMEI No. 867931079283675, 867931079283667 बरादम हुआ। तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद कैफ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहनी पैन्ट की बायीं जेब से 570 रूपये नकद मोबाइल बीवो रंग काला सिम नं0 8433120637 तथा IMEI NO 860386045813294, 860386045813286 है, बरामद हुआ तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम ताहिर अली बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से 400 रूपये नकद बरामद हुए तथा पाँचवे व्यक्ति ने अपना नाम रूस्तम उर्फ शमशाद बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट की बायी जेब से 250 रूपये नकद बरामद हुए । पकडे गये व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि साहब अब आपने हमे पकड ही लिया है तो हम आपको बिल्कुल सच बात बता रहे हैं। थ्री व्हिलर के अन्दर रखे 08 अदद बैटरे पर पांचो व्यक्तियों ने हाथ रखते हुए बताया कि हम लोग रात्रि में प्राइमरी स्कूल व बन्द घरो से तथा सडक किनारे खडे सुनसान जगह में खड़े वाहनो से बैटरे चुराते हैं तथा थ्री व्हिलर में लादकर एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं ये चोरी किये हुए बैटरे है जो आज हम पाचो लोग चोरी छुपे विक्री करने जा रहे थे। इनमे से एक बैटरा दिनांक 18.01.2026 की रात्रि में हम लोगो ने ग्राम खुनक स्कूल से चुराया था तथा एक बैटरा इससे पहले विजयनगला उसैता रोड पर बन्द मकान से चुराया था तथा शेष बैटरे थाना उझानी क्षेत्र व थाना बिनावर क्षेत्र के अलग अलग स्थानो से अपने अन्य तीन साथी के साथ मिलकर चोरी किये थे। चोरी किये हुए सामानो में से कुछ सामान हमारे अन्य साथियो के हिस्से में आ गये, ये बैटरे हम लोगो के हिससे में आये हैं जिन्हे हम लोगो ने छिपाकर रखा था और आज मौका मिलने पर चोरी छिपे रात्रि में बेचने जा रहे थे कि आपने पकड लिया है। साहब माफ कर दो गलती हो गयी है। अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 35 (1), (2) /106 BNSS तथा धारा 317 (2) BNS की हद को जाता है। अभियुक्तगणो के कब्जे से थाना बिनावर पर अंकित मुकदमा से संबंधित चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसके आधार पर विवेचक द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

04– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उक्त वाद में आरोपी प्रार्थीगण को थाना पुलिस ने वेवजह परेशान करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया है। प्रार्थी को थाना पुलिस घर से पकड़कर मय टैम्पू के थाने ले आयी और फर्जी वस्तु (बैटरा) की झूंठी बरामदगी दर्शाकर झूठा चालान कर दिया। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई वस्तु (बैटरा) बरामद नही हुई है। बल्कि थाना पुलिस ने फर्जी बरामदगी

दर्शाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार बरामदगी के समय थाना पुलिस के द्वारा जनता का स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य नही दर्शाया गया है। बल्कि स्वयं थाना पुलिस के कर्मचारीगण है जिससे बरामदगी झूठी प्रस्तुत होती है। प्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु (बैटरा) की बरामदगी नही हुई है। थाना पुलिस ने उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर झूठा चालान कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थाना पुलिस ने घटना स्थल ग्राम मोहम्मदपुर मोड़ का दर्शाया है। जबकि उक्त घटना स्थल पर वाहनों तथा राहगीरो का आवागमन रहता है। प्रार्थी दिनांक–19.02.2026 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थीगण पूर्व सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने के बाद गवाह सबूत तोड़ने व भागने का कोई अंदेशा नही है। उक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी है।

05– प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

06– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

7– केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से बरामदगी दर्शित की गयी है, परंतु उक्त बरामदगी में कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं किया है। उक्त मामला सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनाँक 19.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई विचार न करते हुऐ अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **ताजीव, मोहम्म्द कैफ** एवं **आमिर** का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन पचास–पचास हजार रुपये का निजी बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू तथा निम्न शर्तों की अण्डरटेकिंग संबंधित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्त उक्त मामले के विचारण में सहयोग करेगा तथा नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित आता रहेगा।

2– अभियुक्त गवाहान को डराने धमकाने एवं उन्हें लालच देने का प्रयास नहीं करेगा।

3– अभियुक्त अभियेाजन साक्ष्य से छेडछाड नहीं करेगा।

4– अभियुक्त दौरान विचारण किसी आपराधिक क्रिया–कलाप में सम्मिलित नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांक 10.03.2026

(नुपुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०), बदायूँ।